

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-फ०बी०यो०-02-18/2012(खण्ड-III)/

पटना, दिनांक- मई, 2015

प्रेषक,

जे०के०पी० सिंह,
निदेशक।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

विषय:- मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग से प्राप्त आवेदन/परिवाद पत्र के संबंध में।

प्रसंग:- आपका 1. पत्रांक-5703464/MMV दिनांक- 22.12.2014,
2. पत्रांक-5703532/MMV दिनांक- 30.12.2014,
3. पत्रांक-5700019/MMV दिनांक- 08.01.2015
4. पत्रांक-5700063/MMV दिनांक- 09.01.2015
5. पत्रांक-502753 दिनांक-10.11.2014
एवं 6. ग्रा.वि.वि. का पत्रांक-217432 दिनांक- 21.01.2015

महाराज,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के साथ संलग्न सर्वश्री प्रभु कुमार (संदर्भ सं.-00003-1212140179), रंजीत कुमार(संदर्भ सं.-00003-1212140008), मनोज राम,(संदर्भ सं.-00003-1212140085), आवेदक का नाम नहीं (संदर्भ सं.-000032212140009), बाल कृष्ण कुमार, (संदर्भ सं.-000030601150049), अवधेश कुमार (संदर्भ सं.-000030601150050), मो. नजीमुद्दीन(संदर्भ सं.-000030601150033), भाई दिनेश(संदर्भ सं.-000030801150022), रितेश कुमार(संदर्भ संख्या-000030801150071), शंकर साह(संदर्भ सं.-000012110140133) एवं विश्वनाथ यादव एवं अन्य (संदर्भ सं.-000012011140013) से प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में कहना है कि:-

1. मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के पैनल निर्माण हेतु विस्तृत सूचना में स्पष्ट उल्लिखित है कि "पैनल में चयनित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे तथा सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। किसी भी समय बिना कारण बताये उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है।"
साथ ही स्थिति को स्पष्ट करने के लिये राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में निम्न आशय की सूचना भी प्रकाशित किया गया था "मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के लिये तैयार किये गये पैनल से कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी अथवा मासिक रूप से किसी राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। उनसे कार्य किये जाने की स्थिति में उसके एवज में उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मात्र किया जायेगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में भी होने वाली किसी भी नियुक्ति में किसी मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV की नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा।"
2. विज्ञापन के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया था कि मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के लिए पैनल निर्माण न तो कोई सरकारी सेवा के लिए है जिस पर नियुक्ति की जानी है और न तो नियत मानदेय के आधार पर कोई नियोजन। इसलिए पूर्व में किसी कार्य में पूर्णकालिक रूप से संलग्न होने अथवा संबंधित प्रखंड/पंचायत से बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थियों को अपना पूर्व का कार्य छोड़कर मान्यताप्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के रूप में आना उनके लिए व्यवहारिक नहीं होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक।

ज्ञापांक-


642

दिनांक-

09.5.15

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक(प्रशासन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. सर्वश्री प्रभु कुमार (संदर्भ सं.-00003-1212140179), रंजीत कुमार(संदर्भ सं.-00003-1212140008), मनोज राम,(संदर्भ सं.-00003-1212140085), आवेदक का नाम नहीं(संदर्भ सं.-000032212140009), बाल कृष्ण कुमार, (संदर्भ सं.-000030601150049), अवधेश कुमार (संदर्भ सं.-000030601150050), मो. नजीमुद्दीन(संदर्भ सं.-000030601150033), भाई दिनेश (संदर्भ सं.-000030801150022), रितेश कुमार(संदर्भ संख्या-000030801150071) शंकर साह(संदर्भ सं.-000012110140133) एवं विश्वनाथ यादव एवं अन्य (संदर्भ सं.-000012011140013) को सूचनार्थ प्रेषित।



निदेशक।

